

कंपनी अधिनियम, 2013
के तहत निगमित
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
की
बहिर्नियमावली

- I. **कंपनी का नाम** **ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड**
- II. **पंजीकृत कार्यालय**
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में स्थित होगा ।
- III. **उद्देश्य**
(क) कंपनी के गठन के बाद इसके मुख्य उद्देश्य:
 1. राजस्थान राज्य में सौर पार्कों की पहचान, सर्वेक्षण, नियोजन, प्रोत्साहन, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण करना ।
 2. भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास, आंतरिक सड़कों का निर्माण, जल प्रणाली, आपूर्ति, संस्थापन, प्रचालन एवं विद्युत की निकासी हेतु पारेषण लाइन के अनुरक्षण सहित नियोजन, निर्माण, विकास, प्रचालन, अवसंरचनात्मक सुविधा का अनुरक्षण करना ।
 3. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत सौर /नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं एवं अन्य परियोजनाओं की स्थापना हेतु चयनित विकासकों को आमंत्रित करना, उनका चयन करना एवं इस उद्देश्य से परियोजनाओं की स्थापना में जुटे विकासकों को भूमि उपयोग अधिकार एवं अनुषंगी सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
 4. भारत सरकार/राजस्थान सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली/किसी अन्य पारदर्शी तंत्र के माध्यम से डेवलपर्स को नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्कों के अंदर कार्य आवंटित करना।
 5. भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित नीति के अनुसार जेवीसी के माध्यम से ऐसी अन्य सौर/पवन/हाइब्रिड/हरित हाइड्रोजन आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की डेवलपर के रूप में या किसी अन्य व्यवस्था के तहत भंडारण के साथ या उसके बिना योजना बनाना
 6. सरकारी या निजी, खरीदी गई और/या पट्टे पर ली गई भूमि पर पावर पार्क विकसित करना, इसके साथ ही जल निकायों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पार्क के रूप में विकसित करना।

7. स्वयं या सार्वजनिक या निजी डेवलपर्स के साथ संयुक्त साझेदारी में अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना, विद्युत स्टेशनों का प्रचालन, अनुरक्षण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, बिक्री, पट्टे पर देना।
8. प्रारंभिक, व्यवहार्यता और निश्चित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, योजना बनाने में प्रबंधन सलाहकारों के कार्य को आगे बढ़ाना। ट्रांसमिशन प्रणाली सहित सभी प्रकार के संयंत्र को बढ़ावा देना, विकसित करना, संचालन और रखरखाव करना
9. सभी प्रकार के यांत्रिकी, विद्युत उपकरणों एवं अनुषंगी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का डिजाइन, विकास, अनुसंधान, विनिर्माण एवं निर्यात एवं आयात करना ।

ख) खण्ड –III क में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के आवश्यक मामले :

चार्टर्स, रियायतें आदि प्राप्त करना

1. कंपनी अथवा इसके सदस्यों के हितों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वृद्धि करने के प्रयोजन से भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकारी, राष्ट्रीय, स्थानीय, नगरपालिका या अन्यथा या किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवस्था कायम करना
2. ऐसी किसी भी सरकार, राज्य प्राधिकारी या व्यक्ति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अध्याधीन कोई भी अधिकार-पत्र (चार्टर), सब्सिडी, ऋण, क्षतिपूर्ति, अनुदान, अनुबंध, फरमान, अधिकार, स्वीकृतियाँ, विशेषाधिकार, अनुज्ञप्तियाँ या जो भी रियायतें हों (चाहे सांविधिक हों या अन्यथा) प्राप्त करना और इनका उपयोग और पालन करना जैसा कि कंपनी को वांछनीय लगता हो ।

धन उधार लेने की शक्ति

3. कंपनी के कारोबार के वित्त पोषण के प्रयोजन से प्रतिभूति या बंधक या उपक्रम पर प्रभारित अन्य प्रतिभूति या कंपनी की गैर माँगी पूंजी सहित सभी या किन्हीं संपत्तियों सहित या उनके बिना धन उधार लेना या जमा करना तथा ऐसी प्रतिभूतियों को बढ़ाना, घटाना या भुगतान करना ।

संपत्तियों का अधिग्रहण करना एवं पट्टे पर लेना

4. भारत या विश्व या किसी रियासत के किसी हिस्से में स्थित कारखानों, निर्माणशालाओं, भवनों और सभी प्रकार की सुविधायुक्त अवसंरचनाओं, भूमि, इमारतों, अपार्टमेंट, संयंत्र, मशीनरी और किसी अवधि या विवरण की भू-संपत्ति का क्रय, पट्टा, अदला-बदली, किराया या किसी और तरीके से अधिग्रहण करना या निर्माण करना और अनुरक्षण करना या ऐसी संपत्ति एवं उसके साथ जुड़े किंहीं अधिकारों में रुचि दिखाना एवं कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से कंपनी के लिए उचित, आवश्यक, अथवा सुविधानुसार खातों में परिवर्तित करना ।

व्यापार/कंपनियों का अधिग्रहण

5. किसी व्यक्ति, फर्म, समाज, संघ, निगम या कंपनी के ऐसे व्यवसाय, आस्तियों, संपत्ति, साख, अधिकारों और दायित्वों का पूर्णतः अथवा आंशिक अधिग्रहण, कब्जा लेना जिसे करने के लिए कंपनी अधिकृत है।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकार आदि प्राप्त करना

6. (क) कंपनी के किसी उद्देश्य अथवा किसी अन्य प्रयोजन जो समीचीन लगता है, को करने या विस्तारित करने के लिए शक्तियों, अधिकारों, सुरक्षा, वित्तीय और अन्य मदद जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु भारत में या विश्व के किसी भी भाग में विधानमंडल का आदेश या अधिनियम का प्राधिकार प्राप्त करना, इसके लिए आवेदन करना या इसे जारी करवाने के लिए प्रबन्ध करना और ऐसी कार्रवाई या आवेदन या अन्य प्रयासों, कदमों या उपायों का विरोध करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के हितों को पूर्वाग्रहित करने के लिए गणना किए गए प्रतीत होते हैं ।

(ख) सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने या पूरा करने के लिए विद्युत के ट्रांसमिशन, आपूर्ति और वितरण को स्थापित करना, अनुरक्षण, संचालन और उपयोग करने का अधिकार।

तकनीकी जानकारी का अधिग्रहण करना

7. किसी ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, ब्रीवेट या आविष्कारों, अनुज्ञप्तियाँ, रियायतों और इसी प्रकार के अन्य किसी रहस्य या किसी आविष्कार, जो कंपनी के किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने लायक प्रतीत होता हो, के अनन्य या गैर अनन्य या सीमित अधिकार प्रदान करने या जिसका अधिग्रहण कंपनी के हित के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुविचारित किया गया हो, के लिए आवेदन करना, क्रय करना या अन्यथा अधिग्रहण करना और इस प्रकार के अधिग्रहीत या अन्यथा कंपनी के खाते में परिवर्तित संपत्ति, अधिकार या सूचना का उपयोग करना, व्यवहार में लाना, विकास करना या अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण संचालित करना

8. (क) वैज्ञानिक, तकनीकी, या अनुसंधान प्रयोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यशालाओं की स्थापना कराना, उपलब्ध कराना, अनुरक्षण करना और उनका संचालन करना अथवा अन्यथा सब्सिडाइज करना और सभी प्रकार के प्रयोग एवं परीक्षणों को सीधे ही या अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग से संचालित करना और किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधानों को जिन्हें प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, आयात प्रतिस्थापन

या अन्य व्यवसाय करने के लिए कंपनी अधिकृत है, में सहायता, प्रोत्साहन और उन्नयन में त्वरित प्रगति करने वाला माना जाता है ।

(ख) भारत या विश्व के किसी भाग में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन करना; सभी कार्मिकों, जिनके किसी भी ऐसे व्यवसाय जिसे करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है, में उपयोगी या सहायक होने की संभावना हो, के लिए प्रशिक्षण जो समीचीन हो, की व्यवस्था करना।

संयुक्त उपक्रम शुरू करना

9. किसी व्यवसाय या लेनदेन जिसे करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है या कर रही है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के लिए लाभदायक उद्यम है या लेनदेन जो किए जाने में सक्षम प्रतीत होता है, को कर रहे या उस कार्य में लगने जा रही किसी भी कंपनी या निकाय, प्राधिकरण या जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन भी शामिल है, के साथ साझेदारी, संघ या सहकारी या संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य करना ।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रावधान करना

10. कंपनी में नियोजित या पूर्व में नियोजित कर्मचारी जिसमें उनके परिवार भी शामिल हैं, कंपनी द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीकों से सुधार एवं कल्याण के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना ।

संपत्ति बेचना

11. कंपनी के किसी उपक्रम या इसके किसी अंश को जैसा कंपनी उचित समझे, उसे बेच या नष्ट कर सकती है।

संविदाएं करना

12 (क) कंपनी के किसी भी या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों, कंपनियों या अन्य संगठनों के साथ उपकरणों के क्रय और तकनीकी, वित्तीय या किसी अन्य सहायता के लिए करार एवं संविदाएं करना ।
(ख) क्षतिपूर्ति और गारंटी के अनुबंध करना ।

शेयरों के लिए अभिदान करना

13. शेयर, स्टॉक, प्रतिभूतियों और ऋणग्रस्तता के प्रमाण या लाभ में प्रतिभागिता का अधिकार या सरकार, प्राधिकार, निगम द्वारा जारी किए गए इसी तरह के कोई अन्य दस्तावेज और इनके बारे में कोई विकल्प या अधिकार का अभिदान, सहमति, क्रय, अन्यथा अधिग्रहण करना और

रखना, निपटाना और सौदा करना ।

बैंकों आदि में खाते खोलना

14. किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के साथ या किसी बैंक या बैंकर या वित्तीय एजेंसी में खाता खोलना और बैंकों में गैर वित्तीय लेन-देन की व्यवस्था सहित खातों में धन का भुगतान करना और वापस निकालना ।

अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित करना

15. ऐसी किसी कंपनी का प्रवर्तन करना या प्रवर्तन में सहमत होना जिसका प्रवर्तन कंपनी के उद्देश्यों या किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वांछनीय माना जाए ।

केन्द्र या राज्य की ओर से एक उद्यमी के रूप में कार्य करना

16. भारत सरकार/ राज्य सरकार की ओर से आर्थिक निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे निवेशों को शुरू करना या शुरू करने में सहायता करना

अग्रिम धन देना

17. संपत्ति या अचल संपत्ति को बंधक रखकर या बैंक गारंटी के बदले अग्रिम धन देना और उन शर्तों पर जैसा कंपनी ठीक समझे भविष्य के माल की आपूर्ति और सेवाओं के बदले अग्रिम धन देना ।

सहायक कंपनियों द्वारा लेन-देन किए जा रहे माल का सौदा करना

18. कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा निर्मित, उत्पादित या व्यवहार की जा रही सभी वस्तुओं, माल और वस्तुओं में किसी भी रूप में जैसा भी हो, ट्रेडिंग और सौदा करने का कारोबार चलाना ।

IV सीमित देयता

सदस्यों की देयता सीमित है एवं यह देयता उनके द्वारा धारित अंश के आधार पर भुगतान न की गई धनराशि यदि कोई है, तक सीमित है ।

V. शेयर पूंजी

कंपनी की शेयर पूंजी 50,00,00,000 रुपए है जो 50,000,000 इक्विटी शेयर्स, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/- में विभाजित है।

- VI हम, विभिन्न लोग, जिनके नाम एवं पते अभिदानकर्ताओं में दिए गए हैं, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुपालन में कंपनी में शामिल होने के इच्छुक हैं, तथा हमारे नामों के समक्ष दिए गए क्रमशः कंपनी के शेयरों को धारण करने हेतु सहमत हैं: -

क्र.सं.	अभिदानकर्ताओं का विवरण				
	अभिदानकर्ताओं के नाम, पते, विवरण एवं व्यवसाय	डिन/पैन /पासपोर्ट नं.	लिए गए शेयरों की संख्या	डीएससी	दिनांक
1	श्री कुमार शरद 3/25 टीएचडीसी कॉलोनी ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड-249201	AFPPS60458	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	कुमार शरद	23/0 3/23
2	श्री अतुल जैन III-37, टीएचडीसी कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड-249201	ACEPJ4523F	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	अतुल जैन	23/0 3/23
3	श्री दिनेश कुमार शर्मा, 175, सूर्या नगर गोपाल पुरा बाई पास जयपुर, राजस्थान-302015 एनए इंडिया	09581089	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	दिनेश कुमार शर्मा	23/0 3/23
4	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड श्री राजीव विश्नोई, भागीरथी भवन, टॉप टैरेस, भागीरथीपुरम, प्रताप नगर, उत्तराखण्ड-249001 एनएन, टिहरी गढ़वाल,	08534217	3699996 इक्विटी 0 प्राथमिकता	राजीव कुमार विश्नोई	23/0 3/23
5	राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड श्री ललित वर्मा, ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001 एनए जयपुर, भारत	09364205	1299999 इक्विटी 0 प्राथमिकता	ललित वर्मा,	23/0 3/23
6	श्री संदीप सिंघल ई-904 सेक्टर 7, वैशाली पार्क कोर्ट, रामप्रस्थ ग्रीन्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 भरत नगर (गाजियाबाद), गाजियाबाद	AFUPS0326J	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	संदीप सिंघल	23/0 3/23
7	श्री अतुल भूषण गोयल 4/24 टीएचडीसी कालोनी ऋषिकेश, उत्तराखण्ड-249201 ऋषिकेश, देहरादून, भारत	AATPG1682K	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	अतुल भूषण गोयल	23/0 3/23
	लिए गए कुल शेयर		5000000 इक्विटी 0 प्राथमिकता		
मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किए गए					
गवाह की सदस्यता का प्रकार (एसीए/एफसीए/एसीएस/एफसीएस/एसीएमए/एफसीएमए)	गवाह का नाम	पता, विवरण एवं व्यवसाय	डिन/पैन नं./ सदस्यता	डीएससी	दिनांक
एफसीएस	अभिषेक शर्मा	एससीओ-10, मिनि सचिवालय के सामने पुरानी तहसील के समीप शहर पानीपत-132103	12407	अभिषेक शर्मा	23/03/ 23

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

के अंतर्नियम

व्याख्या कलाज

1. संस्था के बहिर्नियमों और इन अंतर्नियमों की व्याख्या में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का, जब तक विषय या उसके सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित तात्पर्य हैं:-

“अधिनियम

“अधिनियम” से तात्पर्य भारत में समय-समय पर लागू यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 से है जिसमें कंपनी के संबंध में वैधानिक प्रावधान किए गए हैं ।

करार

करार से तात्पर्य समय समय पर संशोधनो सहित टीएचडीसीआईएल एवं आरआरईसीएल के मध्य निष्पादित संयुक्त उपक्रम करार कम शेयर धारक करार से है।

‘मण्डल’ या ‘निदेशक मण्डल’

‘मण्डल’ या ‘निदेशक मण्डल’ से तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के संयुक्त निकाय से है ।

“पूंजी” से तात्पर्य कंपनी के उद्देश्यों के लिए फिलहाल बढ़ाई गई या बढ़ाए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी से है।

‘अध्यक्ष’ से तात्पर्य फिलहाल कंपनी के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से है।

“कम्पनी” से तात्पर्य ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड से है ।

‘निदेशक’ से तात्पर्य कम्पनी के मण्डल में नियुक्त किए गए निदेशकों से है।

‘लाभांश’ में कोई भी अन्तरिम लाभांश सम्मिलित हैं ।

‘निष्पादक’ या ‘प्रशासक’ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन का पत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया हो ।

“असाधारण आम बैठक ” से तात्पर्य वार्षिक आम बैठक के अलावा सभी सामान्य बैठको से है।

‘सरकार’ से तात्पर्य राजस्थान सरकार / केन्द्र सरकार से है।

‘माह’ का अर्थ कैलेन्डर माह से है।

कार्यालय’ से तात्पर्य कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से है।

“व्यक्ति” में कारपोरेशन शामिल है ।

रजिस्टर का तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में रखे गए सदस्यों के रजिस्टर से है।

'रजिस्ट्रार'

'रजिस्ट्रार' से तात्पर्य अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार से है जो कंपनियों के पंजीकरण की इ्यूटी का निर्वहन करता हो और कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार्यों में अपनी सेवाएं देता हो।

इन नियम या 'विनियम'

'इन नियमों' या 'विनियमों' का तात्पर्य मूलरूप से निर्मित या समय-समय पर परिवर्तित इन विनियमों के अंतर्नियमों से है तथा जहाँ संदर्भ में ऐसा आवश्यक हो, बहिर्नियमों को शामिल करता है।

मुहर:

"मुहर" से तात्पर्य कम्पनी की सामान्य मुहर से है।

शेयर:

"शेयर" से तात्पर्य कंपनी की शेयर पूंजी में एक शेयर से है और इसमें स्टॉक शामिल होता है।

लिखित

लिखित में मुद्रण और लिथोग्राफी या दिखाई देने वाले शब्दों के रूप में प्रस्तुत करने या दिखाने की विधा शामिल है।

अधिनियम में दिए गए अर्थ के समान अंतर्नियम में मानना।

जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में दिए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में दिया गया है।

सारणी "च" लागू नहीं

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची की सारणी 'च' में दिए गए विनियम कंपनी पर लागू होंगे और इसके विनियमों का निर्माण करेंगे, जब तक कि इसके बाद उन्हें स्पष्टतया और विहित रूप से हटा न दिया गया हो, संशोधित कर दिया गया हो या परिवर्तित कर दिया गया हो।

कम्पनी इन अंतर्नियमों के द्वारा **सुशासित** होगी :

3. कम्पनी प्रबन्धन तथा उसके सदस्यों और प्रतिनिधियों के अनुसरण के लिए विनियम, उपर्युक्त के अध्यक्षीन होंगे तथा इन अंतर्नियमों में बदलाव करने या कुछ नया जोड़ने के लिए अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट या अनुमत: विशेष संकल्प द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि इन अंतर्नियमों में दिया गया है।

कंपनी का प्रकार

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) या इसके बाद किन्हीं संशोधनों में दिए गए अर्थ के अनुसार यह कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है।

शेयर पूंजी एवं अधिकारों की भिन्नता

पूंजी

5. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी समय-समय पर कंपनी के बहिर्नियमों के खण्ड V में निर्धारण के अनुसार होगी।

शेयरों का आबंटन

6. अधिनियम के प्रावधानों और इन अंतर्नियमों के अध्यक्षीन शेयर निदेशक मण्डल के नियंत्रण में होंगे जो इन्हें आबंटित कर सकते हैं या अन्यथा ऐसे व्यक्तियों हेतु एवं ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर इनका निपटारा कर सकते हैं जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो और किसी व्यक्ति को किसी शेयर के सममूल्य या प्रीमियम पर और ऐसे विचार के लिए जैसा निदेशक उपयुक्त समझते हों, दे सकते हैं।

सदस्य का प्रमाण-पत्र का अधिकार

प्रमाणपत्र

7. (i) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज है, आवंटन के बाद दो महीने के भीतर या स्थानांतरण या ट्रांसमिशन के पंजीकरण के लिए आवेदन के एक महीने के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो कि जारी करते समय शर्तें रखी गई हों, में प्राप्त करने का हकदार होगा,
 - (क) बिना किसी शुल्क के उनके सभी शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र ; या
 - (ख) अपने एक अथवा अधिक शेयर के लिए प्रथम प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बीस रुपये के भुगतान पर प्रत्येक के लिए अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (ii) शेयरों के प्रत्येक प्रमाण पत्र पर कंपनी की मुहर लगी होगी और इस पर जारी किए गए शेयरों की विशिष्ट संख्या तथा भुगतान की गई राशि विनिर्दिष्ट होगी।

- (iii) अनेक व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए शेयर(रों) के लिए कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी और अनेक धारकों में से किसी एक को शेयर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि सभी के लिए पर्याप्त माना जाएगा ।

विरूपित होने, खोने या नष्ट हो जाने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र निर्गत करना

- 8 (i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त, विरूपित हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के लिए पृष्ठांकित करने हेतु उसके पीछे कोई स्थान नहीं बचता तो इसे कंपनी को वापिस करने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और यदि कोई प्रमाण पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी की संतुष्टि के लिए इसका प्रमाण देने एवं जैसा कंपनी उचित समझे ऐसी क्षतिपूर्ति करने पर खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाण पत्र के लिए पात्र पार्टी को इसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र दिया जा सकता है । अंतर्नियमों के अंतर्गत प्रत्येक प्रमाणपत्र बीस रुपये के शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा।
- (ii) अंतर्नियम 6 एवं 7 के प्रावधान कंपनी के डिबेंचर पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

शेयरों अथवा डिबेंचर का अंतरण एवं हस्तांतरण :

9. (i) बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अध्यक्षीन पंजीकरण करने से मना कर सकता है-
- क) किसी शेयर का अंतरण, जिसका भुगतान पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं किया जा सकता जिसे वे स्वीकृति नहीं देते हैं; या
- ख) शेयरों का ऐसा अंतरण जिस पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है।
- (ii) बोर्ड अंतरण के किसी लिखत को मान्यता देने से मना कर सकता है जब तक कि-
- (क) अंतरण की लिखत धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रारूप में है;
- (ख) अंतरण की लिखत के साथ शेयरों का प्रमाण पत्र होता है जिससे यह संबंधित है, और ऐसे अन्य साक्ष्य जिन्हें बोर्ड हस्तांतरण करने के लिए हस्तांतरणकर्ता के अधिकार को दिखाने के लिए उचित समझे ; तथा
- (ग) हस्तांतरण की लिखत शेयरों के केवल एक वर्ग से संबंधित है ।
- (iii) धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देने पर, अंतरण का पंजीकरण ऐसे समय पर और ऐसी अवधि के लिए रोका जा सकता है जैसा कि बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे:

बशर्ते कि ऐसा पंजीकरण किसी एक समय में तीस दिनों से अधिक या किसी भी वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों से अधिक के लिए नहीं रोका जा सकता ।

- iv) कोई भी पार्टी किसी भी स्थिति में और किसी भी समय संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमन की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति तक जेवीसी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी या स्थानांतरित नहीं करेगी। ऊपर निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद या पारस्परिक रूप से सहमत हो सकने वाली अवधि के बाद किसी भी पार्टी द्वारा जेवीसी में शेयरधारिता की बिक्री की स्थिति में, बेचने वाली पार्टी पहले दूसरी पार्टी को बिक्री की पेशकश करेगी। बिक्री की पेशकश के 30 दिनों के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर बेचने वाला पक्ष विस्तार करता है, दूसरा पक्ष खरीदने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, बेचने वाला पक्ष अपनी शेयरधारिता का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा वह उचित समझे। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित योग्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जिसका मूल्य संबंधित पार्टी के लिए आधार होगा, शेयरों के उचित मूल्य का आकलन करेगा। मूल्यांकन की लागत को विक्रय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा
- v) समझौते के पक्ष विनिवेश और मुद्रीकरण नीति के संबंध में भारत सरकार और/या राजस्थान राज्य सरकार के निर्देशों से नियंत्रित होंगे, जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं और पक्ष उन निर्देशों को अक्षरशः एवं उनके भाव को लागू करेंगे।

अंतरण का रजिस्टर :

10. कंपनी शेयरों के अंतरण और डिबेंचरों के अंतरण के लिए एक रजिस्टर रखेगी जिसमें किसी शेयर या डिबेंचर के कई अंतरणों या हस्तांतरणों का विवरण प्रविष्ट किया जाएगा ।

अंतरण का निष्पादन :

- 11.(i) कम्पनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर के दस्तावेज अंतरणकर्ता एवं हस्तांतरी दोनों के द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किया जाएगा ।
- (ii) अंतरणकर्ता तब तक शेयर धारक माना जाएगा जब तक कि हस्ताक्षरकर्ता का नाम सदस्यों या डिबेंचरधारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता है ।

शेयरों का हस्तांतरण

12. अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन अनुच्छेद 9 में विहित कोई भी बात, कंपनी में शेयर धारक या डिबेंचर धारक के रूप में पंजीकृत करने की कम्पनी की किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी यदि शेयरों या डिबेंचरों का हस्तांतरण विधि के अनुसार किया गया है ।

पूँजी का परिवर्तन

पूँजी की वृद्धि :

13. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, कंपनी आम बैठक में शेयर पूँजी को शेयरों में विभाजित की जाने वाली ऐसी राशि, जो पारित संकल्प के अनुसार निर्धारित हो, के द्वारा बढ़ा सकती है।

नए शेयर :

14. नए शेयरों को निबंधन एवं शर्तों पर तथा उसके साथ जुड़े अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी शेयर (अधिमान्य शेयर न हो) जारी नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा लाभांश, पूँजी या अन्यथा के रूप में कंपनी में वोटिंग का अधिकार या अन्य अधिकार प्राप्त होते हों, जो अन्य शेयरों (अधिमान्य शेयर न हों) के धारकों के साथ जुड़े अधिकार के विषमानुपाती हो।

वर्तमान सदस्यों को शेयर्स कब ऑफर किए जाते हैं :

15. नए शेयर (पूँजी के पूर्व कथनानुसार बढ़ने के फलस्वरूप) अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए जा सकते हैं या निपटान किए जा सकते हैं।

नए शेयर मूल पूँजी भाग के होंगे :

16. जारी करने की शर्तों या इन अंतर्नियमों द्वारा अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, नए शेयरों के सृजन से निर्मित पूँजी मूल पूँजी का भाग मानी जाएगी और मांग एवं किस्तों का भुगतान, अंतरण एवं हस्तांतरण, जब्ती, ग्रहणाधिकार, अभ्यर्पण, वोटिंग एवं अन्यथा के सन्दर्भ में यहाँ निहित प्रावधानों के अध्यक्षीन होगी।

पूँजी की घटोत्तरी आदि :

17. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन कंपनी समय-समय पर सामान्य संकल्प द्वारा पूँजी की घटोत्तरी करती है।

शेयरों का उप-विभाजन, रूपांतरण, समेकन और निरस्तीकरण:

18. धारा 61 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, कंपनी साधारण संकल्प द्वारा, -
- अपनी पूरी या किसी भी शेयर पूँजी को अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में समेकित और विभाजित करना;
 - इसके सभी या किसी भी पूर्ण प्रदत्त शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित करना, और उस स्टॉक को किसी भी मूल्यवर्ग के पूर्ण प्रदत्त शेयरों में पुनर्परिवर्तित करना;
 - अपने मौजूदा शेयरों या उनमें से किसी को भी ज़ापन द्वारा तय की गई राशि से कम राशि के शेयरों में उप-विभाजित करना ;
 - किसी भी शेयर को, जो संकल्प के पारित होने की तारीख में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है या लेने के लिए सहमत नहीं है, को रद्द करना।

वरीयता प्राप्त शेयर :

19. धारा 55 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, कोई भी वरीयता प्राप्त शेयर, सामान्य संकल्प की मंजूरी से इस शर्त पर जारी किया जा सकता है कि उन्हें ऐसी शर्तों पर और इस तरह से भुनाया जा सकता है जैसा कि कंपनी शेयरों के जारी होने से पहले विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित करें।

बोनस शेयर :

20. कंपनी आम बैठक में सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस के भुगतान करने का निर्णय ले सकती है, यदि निदेशक मंडल के द्वारा ऐसी संस्तुति प्रदान की गई हो।

अन्य प्रकार के शेयर जारी करना :

21. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं वैधानिक संशोधनों और लागू प्रावधानों के अध्यक्षीन, यदि कोई हो, कंपनी शेयरधारकों को अन्य प्रकार के शेयर जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

सूचना

सदस्यों की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर शेयरों को अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नोटिस -

22. सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप शेयरों की पात्रता पाने वाले व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए पते पर उन्हें नाम या उपनाम से संबोधित एक पूर्वदत्त पत्र के या मृतक के प्रतिनिधि के दिवालिया के समनुदेशिती के या ऐसे किसी विवरण के माध्यम से भारत में उस पते पर यदि कोई हो, जिसे ऐसा दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से आपूरित किया गया था, या जब तक ऐसा पता न दिया गया हो तो ऐसे किसी भी तरीके से जैसा कि मृत्यु या दिवालिया न होने की दशा में दिया जाता, प्रेषित कर एक नोटिस दिया जा सकता है।

आस्तियों का वितरण :

23. यदि कंपनी परिसमाप्त होगी और सदस्यों के मध्य परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा, तो उसे समापन की प्रक्रिया शुरू होने पर क्रमशः उनके द्वारा रखी गई चुकता पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

शेयरों को वापस खरीदना

24. संस्था के अंतर्नियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी किंतु अधिनियम की धारा 68 से 70 तक के प्रावधानों तथा अधिनियम के किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों या किसी अन्य विधि के अध्यक्षीन कंपनी अपने शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को खरीद सकती है।

आम बैठकें

25. (i) जब भी निदेशक मण्डल उचित समझे, विशेष आम बैठक बुला सकता है।

- (ii) यदि किसी समय कोरम को पूरा करने वाले पदासीन निदेशक भारत में नहीं हैं, तो कंपनी का कोई भी निदेशक या कोई दो सदस्य उसी तरीके से विशेष आम बैठक बुला सकते हैं जैसे कि बोर्ड के द्वारा ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं।

आम बैठक की कार्यवाहियां

आम बैठकों की सूचना

26. i) कंपनी की आम बैठकों की सूचना कम से कम 21 दिनों पूर्व लिखित स्पष्ट नोटिस या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अधिनियम में किए गए प्रावधानों या नियमों द्वारा प्रदत्त विधि से दी जाएगी।
- ii) ऐसे 95 प्रतिशत सदस्य जो इस प्रकार की बैठक में वोट देने के पात्र हैं की लिखित एवं इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी गई सहमति से कम अंतराल के नोटिस पर भी आम बैठक बुलाई जा सकती है।
- iii) बैठक के प्रत्येक नोटिस में आम बैठकों का स्थान, दिन, एवं समय स्पष्ट रूप से दिया जाएगा और ऐसी बैठकों में किए जाने वाले कार्य का अभिकथन शामिल होगा।
- iv) कंपनी की प्रत्येक बैठक का नोटिस निम्नलिखित सभी को दिया जाएगा :-
- क) कंपनी का प्रत्येक सदस्य, किसी मृतक सदस्य का वैधानिक प्रतिनिधि या दिवालिया हो गए सदस्य का समनुदेशिती;
 - ख) लेखा परीक्षक एवं कंपनी का लेखा परीक्षक; तथा
 - ग) कंपनी का प्रत्येक निदेशक।

नोटिस देने में चूक पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करती

27. नोटिस देने में आकस्मिक चूक या किसी सदस्य या अन्य सदस्य जो किसी बैठक में भाग लेने हेतु इस तरह के नोटिस प्राप्त करने के पात्र हैं, के द्वारा इसकी प्राप्ति न होना ऐसी किसी बैठकों में पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करती है।

आम बैठक के लिए कोरम

28. किसी भी आम बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक के कार्य को आगे बढ़ाने के समय सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो जाता। अन्य बातों के होते हुए भी आम बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार होगी। कोरम में टीएचडीसीआईएल एवं आरआरईसीएल प्रत्येक से एक सदस्य होना आवश्यक है। कोरम के अभाव में जब कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक स्वचालित रूप से सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर या यदि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो अगले दिन तक के लिए जो कि राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, उसी समय एवं स्थान के लिए स्थगित हो

जाती है। यदि स्थगित बैठक में भी कोरम पूरा नहीं होता है तो स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य कोरम का गठन करेंगे।

आम बैठक का अध्यक्ष

29. बोर्ड का अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक आम बैठक की अध्यक्षता करने का पात्र है। यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है, या ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है या अध्यक्षता करने का अनिच्छुक है तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। यदि किसी बैठक में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं है या ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर कोई भी निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे।

बैठक का स्थगन

30(i) अध्यक्ष, ऐसी बैठक जिसमें पूरा कोरम उपस्थित हो, उनकी सहमति से समय एवं स्थान में परिवर्तन करते हुए बैठक को स्थगित करने का निर्णय ले सकता है।

(ii) जो बैठक स्थगित की गई है, उस बैठक के अधूरे रहे कार्यों के अलावा किसी भी स्थगित बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(iii) जब कभी भी कोई बैठक तीस दिनों या अधिक समय के लिए स्थगित होती है, तो ऐसी स्थगित बैठकों का नोटिस मूल बैठक के समान दिया जाएगा।

(iv) ऊपर बताए गए के सिवाए और जैसा कि अधिनियम की धारा 103 के प्रावधानों में कहा गया है के अनुसार, ऐसे स्थगन एवं स्थगित बैठक में किए गए कार्य का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

मताधिकार

31. शेयरों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर किसी समय के लिए किन्हीं अधिकारों या प्रतिबंधों के अध्यक्षीन :

(क) जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, उसका हाथ खड़ा करने पर एक मत होगा और;

(ख) मतदान पर सदस्य की मतदान की पात्रता उसके कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में उसके शेयर के

अनुपात में होगी।

i. बैठक में कोई सदस्य अपने मत का इस्तेमाल धारा 108 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से एक बार ही कर सकता है।

- ii. संयुक्त धारकों के मामले में, वरिष्ठ सदस्य का मत जो अपना वोट स्वयं उपस्थित होकर या प्रॉक्सी के माध्यम से दे सकता है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों के अपवर्जन के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- iii. इस प्रयोजन के लिए, वरिष्ठता का निर्धारण उस क्रम से किया जाएगा जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम दर्ज है।
- iv. विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति या जिसे न्यायालय ने आदेश द्वारा विकृत मस्तिष्क होने का आदेश जारी कर दिया हो, वह सदस्य अपनी समिति, अपने विधिक संरक्षक, एवं इस प्रकार की समिति या संरक्षक के द्वारा हाथ उठाकर स्वयं या प्राक्सी के माध्यम से मतदान होने पर अपना मत दे सकता है।
- v. इसके अलावा अन्य कार्य जिसके लिए मत की प्रक्रिया की मांग की गई है, की कार्यवाही को मतदान होने तक लंबित कर दिया जाएगा।
- vi. कोई भी सदस्य आम बैठक में तब तक मत देने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह वर्तमान में कंपनी में उसके द्वारा शेयरों के रूप में सभी देनदारियों एवं रकम की अदायगी नहीं कर दी जाती।
- vii. बैठक या स्थगित बैठक के किसी भी मतदाता की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी सिवाए उसके जिसमें मत पर आपत्ति दर्ज एवं प्रस्तुत की गई हो तथा प्रत्येक मत को इस प्रकार की बैठक के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा तथा सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।
- viii. समय से की गई इस प्रकार की आपत्ति की जानकारी बैठक के अध्यक्ष को दी जाएगी एवं जिसका फैसला अंतिम एवं निर्णायक होगा।

प्रॉक्सी

- 32.(i) प्रॉक्सी और पावर-ऑफ-अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी, यदि कोई हो, की नियुक्ति करने वाल कोई लिखित दस्तावेज, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या उस शक्ति या प्राधिकरण की नोटरीकृत प्रति, बैठक या स्थगित बैठक के होने के समय कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करनी होगी, जिस पर लिखित में नामित व्यक्ति मतदान करने का प्रस्ताव करता है, या मतदान के मामले में, मतदान के नियत समय से कम से कम 24 घंटे पहले; और इसके अभाव में प्रॉक्सी के लिखित दस्तावेज को वैध नहीं माना जाएगा।
- (ii) प्राक्सी नियुक्त करने का लिखित दस्तावेज धारा 105 के तहत निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होगा।
- (iii) प्राक्सी के लिखित दस्तावेज के माध्यम से नियमों के अनुसार दिया गया मत मान्य होगा, प्रमुख सदस्य(प्रिंसिपल) की पूर्व मृत्यु या विकृत मस्तिष्क के बावजूद या प्रॉक्सी या उस प्राधिकारी के निरसन के बावजूद जिसके तहत प्रॉक्सी बनाया गया था, या शेयरों का हस्तांतरण जिसके संबंध में प्रॉक्सी बनाया गया है: बशर्ते कि ऐसी मृत्यु की लिखित में कोई सूचना न हो, विकृत मस्तिष्क, निरसन या स्थानांतरण कंपनी द्वारा अपने कार्यालय में बैठक या स्थगित बैठक के शुरू होने से पहले प्राप्त किया गया हो, जिस पर प्रॉक्सी का उपयोग किया जाना है।

पंजीकृत धारकों के अलावा कम्पनी शेयरों में किसी अन्य के हित को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं

33. इसमें अन्यथा दिए गए को छोड़कर, निदेशक उस व्यक्ति को जिसका नाम शेयर धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाया गया है इसका पूर्ण मालिक मानने के पात्र होंगे तथा तदनुसार ऐसे शेयर में (सक्षम कार्य क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा आदेशित या जैसा विधि द्वारा आवश्यक हो, को छोड़कर) किसी बेनामी ट्रस्ट या समान प्रासंगिक या अन्य दावे या हित को किसी व्यक्ति की तरफ से चाहे उसे इसका व्यक्त या निहित नोटिस हो या नहीं, मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

निदेशक मण्डल

कंपनी का व्यवसाय :

34. अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन कम्पनी का व्यापार निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा ।

निदेशकों की संख्या एवं निदेशकों की नियुक्ति

35.i) कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशको सहित कुल संख्या पांच(5) से कम तथा दस (10) से अधिक नहीं रहेगी ।

ii) जब तक कि प्रमोटर नामतः टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड(आरआरईसीएल) कंपनी की प्रदत्त पूंजी में क्रमशः74% एवं 26% की हिस्सेदारी रखते हैं, कंपनी के निदेशक मंडल में प्रमोटर नामतः टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड 03(तीन) सदस्यों को निदेशक के रूप में नामित करने का पात्र है इन निदेशकों में से एक कंपनी का अध्यक्ष होगा तथा प्रमोटर नामतः राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड(आरआरईसीएल) निदेशक के रूप में 02(दो) सदस्य को कंपनी के निदेशक मंडल में नामित करने का पात्र है। तदोपरांत उपर्युक्त बताए गए शेयर हिस्सेदारी के प्रतिशत के आधार पर उक्त समय पर बनी रहने वाली पार्टी टीएचडीसी एवं राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड(आरआरईसीएल) आपसी सहमति से निदेशकों की नियुक्ति को अंतिम रूप देगी ।

iii) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड(आरआरईसीएल)का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम निदेशक होंगे:-

(क) श्री राजीव कुमार विश्नोई, टीएचडीसीआईएल से नामित

(ख) श्री अतुल जैन, टीएचडीसीआईएल से नामित

(ग) श्री कुमार शरद, टीएचडीसीआईएल से नामित

(घ) श्री ललित वर्मा, आरआरईसीएल से नामित

(ङ) श्री दिनेश कुमार शर्मा, आरआरईसीएल से नामित

iv) कंपनी के दो तिहाई निदेशक (कोई भी भिन्नता अगली उच्च संख्या में पूर्णांकित की जाएगी) जिनकी सेवा अवधि रोटेशन के आधार पर नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होगी, और इन्हें

अधिनियम में अन्य किए गए प्रावधानों को छोड़कर कंपनी की आम बैठक में नियुक्त किए जाएंगे। निदेशकों की सेवानिवृत्ति पर रोटेशन का प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों के मामले में लागू नहीं होता।

- v) कंपनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक जो कि आम बैठक के पश्चात आयोजित की जाएगी जिसमें प्रथम निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे तथा प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के पश्चात, अवधि पूर्ण होने पर इस प्रकार के एक तिहाई निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त किए जाएंगे।
- vi) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर वही निदेशक सेवानिवृत्त किए जाएंगे जिन्होंने अधिकतम कार्यालय अवधि पूर्ण कर ली हो लेकिन इनके मध्य में ऐसे निदेशक जो उसी अवधि को निदेशक नियुक्त किए गए यदि वे स्वयं सहमत नहीं होते, तो लॉट द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति निश्चित की जाएगी।
- vii) वार्षिक आम बैठक जिसमें उपर्युक्तानुसार निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं, तो कंपनी सेवानिवृत्त निदेशक को या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके उक्त रिक्त पद को भर सकती है।
- viii) प्रमोटर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक को किसी भी प्रकार की शर्तों पर ध्यान दिए बिना प्रमोटर कंपनी में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर हटा दिया जाएगा जब तक कि प्रमोटर कंपनी निर्देश न दे। सेवानिवृत्त निदेशक पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

अध्यक्ष

36. टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष कंपनी के अध्यक्ष होंगे एवं कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होंगे।
37. कंपनी का व्यवसाय पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जो कि निदेशक मंडल एवं अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। सीईओ, सीएफओ की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी।

अतिरिक्त, वैकल्पिक एवं नामित निदेशक की नियुक्ति

38. i) धारा 149 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, निदेशक मण्डल किसी भी समय, समय-समय पर निदेशकों का कोरम पूरा करने हेतु किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सकता है, किन्तु अतिरिक्त निदेशकों के साथ मिलकर बोर्ड के सदस्यों की संख्या अंतर्नियमों में निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति केवल कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक के होने तक पदाधिकारी बना रहेगा लेकिन वह अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन कंपनी द्वारा उक्त बैठक हेतु निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।
- ii) कंपनी का निदेशक मंडल किसी व्यक्ति को, जो कंपनी में किसी अन्य निदेशक हेतु वैकल्पिक निदेशक के पद पर न हो, को कम से कम तीन माह के लिए देश से बाहर होने के कारण अनुपस्थित निदेशक के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।

वैकल्पिक निदेशक उस निदेशक की अनुमत अवधि से अधिक अवधि तक उस पद को धारण नहीं कर सकता तथा उसके देश वापिस लौट आने की दशा में वैकल्पिक निदेशक को वह पद छोड़ना होगा। यदि नियमानुसार मूल निदेशक का कार्यकाल उसके भारत लौटने से पहले पूरा हो जाता है, तो उसके स्थान पर अन्य नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त निदेशकों की स्वतः पुनर्नियुक्ति का प्रावधान मूल निदेशक पर लागू होगा, न कि वैकल्पिक निदेशक पर।

- iii) निदेशक मण्डल कंपनी के इन अंतर्नियमों के अध्यक्षीन किसी भी विधि के प्रावधानों से अस्तित्व में आये नियम या करार के अनुपालन में किसी संस्थान द्वारा नामित व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकता है।

निदेशकों का पारिश्रमिक (नियुक्त किए गए, केवल पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में ही यह लागू है)

39. निदेशकों को कंपनी की आम बैठक में, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समय-समय पर निश्चित किए गए अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अलावा निदेशकों को यात्रा, होटल एवं उनके द्वारा किए गए अन्य खर्चों का उचित प्रकार से भुगतान किया जाएगा :-

- i. निदेशक मंडल की बैठक या अन्य बैठक या कंपनी की आम बैठक में उपस्थित होने के लिए आने व वापस जाने के लिए
- ii. कंपनी के व्यवसाय के सिलसिले में।
- iii. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन निदेशकों द्वारा किए गए अतिरिक्त या विशेष कार्यों हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है।
- iv. विभागीय निदेशकों को बैठक में शामिल होने हेतु सीटिंग शुल्क का भुगतान संबंधित विभागीय निदेशकों पर लागू सेवा नियमों से विनियमित किया जाएगा।

बोर्ड की शक्ति

40. i) निदेशक मंडल कंपनी के गठन एवं पंजीकरण करने में हुए व्यय का भुगतान कर सकते हैं।
- ii) निदेशकों को बैंक खाता खोलने की शक्ति प्राप्त है। सभी प्रकार के चैक, वचन पत्र, मसौदा, हुण्डी, विनिमय पत्र, अन्य समझौता लिखत, एवं कंपनी को अदा की जाने वाली सभी प्रकार के धन की प्राप्ति, निकासी, स्वीकार, पृष्ठांकित, या अन्य कृत्य, व्यक्ति, तथा उस तरीके से जैसा कि बोर्ड ने समय-समय पर संकल्प द्वारा निश्चित किया है, पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्राप्त है।
- iii) अपने विवेक पर और अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, निदेशकों को कंपनी के द्वारा अधिग्रहित की गई किसी संपत्ति, अधिकार या विशेषाधिकारों या कंपनी को प्रदान की गई

सेवाओं के लिए या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, नकद या बंधक रखने और ऐसे किसी भी बंधक का भुगतान करने की शक्ति होगी और ऐसे बंधक में या तो विशेष रूप से कंपनी की पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग पर और उसकी गैर आवश्यक पूंजी पर विशेष रूप से शुल्क लगाया जा सकता है या इस प्रकार से प्रचारित नहीं किया जा सकता ।

- iv) निदेशकों के पास यह शक्ति होगी कि वे किसी ऐसी संविदा को पूर्णता सुरक्षित करें जो कि कंपनी ने अपनी पूरी संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग या अपनी तत्समयक अनावश्यक पूंजी को बंधक या प्रभारित करते हुए किया है। वे यह कार्य उस तरीके से करें जो उन्हें उचित प्रतीत होता है ।
- v) निदेशकों के पास किसी भी सदस्य से, जहां तक कानून द्वारा अनुमत हो, अपने शेयरों या उसके कुछ अंश का समर्पण, सहमत निबंधन एवं शर्तों पर स्वीकार करने की शक्ति होगी ।
- vi) निदेशकों के पास कंपनी से संबंधित किसी भी संपत्ति को स्वीकार करने और कंपनी के लिए ट्रस्ट में रखने के लिए, या जिसे लेने के इच्छुक हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, और ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने के लिए जैसा कि हो सकते हो, इस प्रकार के ट्रस्ट के संबंध में या ट्रस्टी एवं ट्रस्टियों को पारिश्रमिक प्रदान करना आवश्यक है, को करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी ।
- vii) निदेशकों के पास कंपनी या उसके अधिकारियों द्वारा या कंपनी के मामलों के संबंध में या अन्यथा किसी भी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने, संचालित करने, बचाव करने, कंपाउंड करने या छोड़ने की शक्ति होगी साथ ही साथ किसी भी ऋण के भुगतान या संतुष्टि के लिए कंपाउंड और समय देने की शक्ति होगी, कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी दावे या मांगों के कारण और किसी भी मतभेद को भारतीय कानून के अनुसार या विदेशी कानून के अनुसार और या तो भारत या विदेश में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना और उस पर किए गए किसी भी अर्वाइड का पालन करने और निष्पादन करने या चुनौती देने की शक्ति होगी।
- viii) निदेशकों को धन चुकाने में असमर्थ/दिवालिया होने से संबंधित सभी मामलों में कंपनी की ओर से कार्य करने की शक्ति होगी ।
- ix) निदेशकों के पास कंपनी को देय धन, कंपनी के दावों और मांगों के लिए पावती देने, निर्गत करने तथा अवमुक्त करने की शक्ति होगी ।
- x) अधिनियम के प्रावधानों के अन्वय निदेशकों के पास कंपनी की ऐसी धनराशि, जिसकी किन्हीं प्रतिभूतियों में तत्काल आवश्यकता न हो, का किसी भी मुद्रा में निवेश करने और उसका सौदा करने जैसा कि वे समय-समय पर उचित समझें तथा समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने एवं वसूलने की शक्ति होगी ।
- xi) निदेशकों के पास कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से किसी भी निदेशक या अन्य व्यक्तियों के पक्ष में, जो कंपनी के लाभ के लिए किसी व्यक्तिगत देयता को वहन कर सकते हैं या करने

वाले हैं, को कंपनी की संपत्ति इस प्रकार गिरवी रखने की शक्ति होगी (वर्तमान और भविष्य) जैसा वे उचित समझें और ऐसे किसी भी बंधक रखने में बिक्री की शक्ति और इसी प्रकार की अन्य शक्तियां, प्रावधान, अनुबंध और समझौते आदि शामिल होंगे ।

- xii) निदेशकों के पास शक्ति होगी कि वे भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थानों, निधियों या न्यासों को बनाएं और समय-समय-पर उनमें अंशदान या योगदान करें और जैसा बोर्ड उचित समझे, अनुदेश देने वाले और मनोरंजन के स्थानों, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराए या इनमें अंशदान दे या ऐसे स्थानों पर अपना योगदान दे ।
- xiii) निदेशकों के पास प्रबंधकों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं में नियुक्त करने और अपने विवेकाधिकार से उन्हें हटाने या निलंबित करने की शक्ति होगी, जैसा वे समय-समय पर उचित समझें। साथ ही उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करने एवं उनके वेतनों या परिलब्धियों को नियत करने तथा ऐसे मामलों में प्रतिभूति एवं ऐसी राशि, जिसे वे उचित समझते हैं का अधिग्रहण करने की भी शक्ति होगी तथा समय-समय पर भारत में किसी निर्दिष्ट स्थान में कम्पनी के प्रबंधन एवं लेन-देन के मामलों का प्रावधान करने, जैसा वे उचित समझें, की भी शक्ति होगी, अगले तीन उपखंडों में निहित प्रावधानों के लिए इस उपखंड द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xiv) निदेशकों को किसी भी समय और समय-समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा कंपनी की मुहर के तहत, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी के अटॉर्नी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी, ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ, प्राधिकारियों और विवेकाधिकार (इन वर्तमान नियमों के तहत बोर्ड में निहित या प्रयोग करने योग्य से अधिक नहीं और कॉल करने की शक्तियों को और ऋण लेने और धन उधार लेने की शक्ति को छोड़कर) और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड समय-समय पर उचित समझे और ऐसी कोई भी नियुक्ति (यदि बोर्ड उचित समझे) सदस्यों या किसी स्थानीय बोर्ड के किसी सदस्य के पक्ष में या किसी कंपनी के पक्ष में या शेयरधारकों, निदेशकों के पक्ष में की जा सकती है। नामांकित व्यक्ति, या किसी कंपनी या फर्म या निकाय या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधक, चाहे वह बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नामित हो सकता है और ऐसे किसी भी मुख्तारनामा में ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा के लिए ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं जिन्हें बोर्ड ठीक समझे और इसमें ऐसे किसी प्रतिनिधि या अटॉर्नी को उप-प्रतिनिधि बनाने की शक्तियाँ हो सकती हैं, जो तत्सम्यक निहित शक्तियाँ, प्राधिकार और विवेकाधिकार रखते हों ।
- xv) कंपनी के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त मामलों में से किसी के संबंध में या उसके संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या अन्यथा निदेशकों के पास ऐसी सभी वार्ताओं और अनुबंधों को करने और ऐसे सभी अनुबंधों को रद्द करने और बदलने और निष्पादित करने की शक्ति होगी और कंपनी के नाम और कंपनी की ओर से ऐसे सभी कार्य, करार और चीजें करना जो वे समीचीन समझें ।
- xvi) समय-समय पर निदेशकों के पास कंपनी, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवसाय के नियमों के लिए उपनियम बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी ।

40 क. सर्वसम्मत मत

निम्नलिखित मामलों से संबंधित कोई निर्णय या प्रस्ताव सर्वसम्मत सहमति के बिना बोर्ड या समिति द्वारा पारित नहीं किया जाएगा

क) कंपनी की शेयर पूंजी संरचना में कोई भी बदलाव, जिसमें सीमित राशि भी शामिल है, लेकिन किसी भी शेयर पूंजी का कोई समेकन, उप-विभाजन या रूपांतरण शेयर या सदस्यता और भुगतान से जुड़े किसी भी अधिकार में परिवर्तन शेयर पूंजी या विभिन्न अधिकारों के साथ शेयर जारी करना।

ख) बिजनेस प्लान पर अनुमोदन।

ग) कंपनी की प्रमुख गतिविधियों या व्यवसाय के दायरे में कोई बदलाव।

घ) एक करोड़ रुपये से अधिक अधिशेष निधि का निवेश।

ङ) वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में अनुमोदन।

च) किसी कॉर्पोरेट गारंटी का प्रावधान या किसी बंधक शुल्क का निर्माण या कंपनी या कंपनी की किसी परिसंपत्ति पर तीसरा पक्ष के रूप में कोई अन्य भार(सोलर पार्क के ऋणदाताओं के अलावा)।

छ) किसी भी भौतिक संपत्ति और/या संपत्ति की बिक्री, स्थानांतरण, पट्टा, असाइनमेंट या संपत्ति का निपटान जिसमें कंपनी किसी भी हित के लिए या संविदा के अलावा अन्यथा व्यवसाय का ऐसा कोर्स करने के लिए अनुबंध करती है।

ज) सहायक कंपनियों की स्थापना या अधिग्रहण, या किसी अन्य कंपनी में या कानूनी इकाई में निवेश।

झ) किसी भी प्रकार के वित्तीय पुनर्गठन की सिफारिश (प्रारंभिक सार्वजनिक सहित) या कंपनी के विघटन की सिफारिश, सिवाय इसके कि जब लागू विधि के अनुसार अपेक्षित हो

ण) लाभांश की घोषणा।

ट) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों या प्रतिभूतियों की लिस्टिंग

उधार लेने की शक्तियां

उधार लेने की शक्ति

41. अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों के अध्यक्षीन निदेशक मण्डल की बैठक में समय-समय पर पारित संकल्प के अनुसार निदेशक मंडल :

- i) कंपनी के उद्देश्य के लिए किसी धनराशि को उधार देना एवं /या प्राप्त करना ।
- ii) देश या देश के बाहर डिबेंचर सहित प्रतिभूतियां जारी करना ।

रियायत या विशेषाधिकार के साथ जारी करना :

42. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, बॉण्ड छूट, प्रीमियम या अन्यथा तथा किसी विशेषाधिकार के साथ, शेयरों के प्रतिदान, समर्पण, आहरण एवं आवंटन के रूप में जारी किए जा सकते हैं ।

मण्डल की कार्यवाही

निदेशकों की बैठक :

43. निदेशक मण्डल व्यवसाय संचालन के लिए बैठक कर सकता है, अपनी बैठकों को स्थगित एवं अन्यथा विनियमित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे। कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

बैठक की सूचना :

44. प्रत्येक निदेशक को कंपनी में पंजीकृत उनके पते पर कम से कम सात दिन का लिखित नोटिस भेज कर बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना हाथ से , डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी । अत्यावश्यक व्यापार करने के लिए बोर्ड की एक बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है, इस शर्त के अध्यक्षीन कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित होगा, लेकिन बोर्ड की ऐसी बैठक से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के मामले में, ऐसी बैठक में लिए गए निर्णय सभी निदेशकों को परिचालित किए जाएंगे और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, के अनुसमर्थन पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

कोरम :

45 i) कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कम से कम दो निदेशकों का कोरम जिसमें टीएचडीसीआईएल एवं यूपीनेडा से कम से कम एक नामित निदेशक(या पार्टियों द्वारा नामित

उनके वैकल्पिक सदस्य) उपस्थित होंगे तथा इस उप धारा के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य विजुअल माध्यम से निदेशकों की उपस्थिति की गणना भी इस गणपूर्ति के लिए की जाएगी ।

- ii) बोर्ड में किसी रिक्ति के होते हुए भी नियमित निदेशक कार्य कर सकते हैं, जब तक उनकी संख्या बोर्ड की बैठक के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित कोरम से कम हो जाती है, तो नियमित निदेशक, निदेशकों की संख्या के कोरम के लिए निर्धारित संख्या तक बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी की आम बैठक बुला सकते हैं, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं ।

कोरम की कमी से बैठक का स्थगन :

46. कोरम की कमी से बोर्ड की बैठक न हो सकने पर, बैठक आगामी सप्ताह में उसी दिन, समय एवं स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगी या यदि उक्त दिवस राष्ट्रीय अवकाश का दिवस होता है तो उसी दिवस समय एवं स्थान के लिए स्थगित होगी जब तक की आने वाला दिवस राष्ट्रीय अवकाश का नहीं होगा । यदि आगामी स्थगित बैठक में भी कोरम पूरा नहीं होता है, तो स्थगित बैठक में उपस्थित निदेशक कोरम का गठन करेंगे।

बैठक कब बुलाई जानी है :

47. एक निदेशक एवं निदेशक की मांग पर प्रबंधक या सचिव किसी भी समय बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं।

बोर्ड का अध्यक्ष

48. i) कंपनी का अध्यक्ष ही बोर्ड का अध्यक्ष होगा यदि इस प्रकार के किसी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ है, या बैठक हेतु निर्धारित समय के 5 मिनट के अंदर अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो, बैठक में उपस्थित निदेशक सदस्यों में से किसी को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं ।

ii) अधिनियम में अन्य किए गए प्रावधानों के साथ, किसी भी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा तथा मतों की समानता होने की स्थिति में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

मण्डल समितियाँ स्थापित कर सकता है :

49. i) अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन, बोर्ड अपनी किसी भी शक्ति को ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी समिति या इसके निकाय, जैसा यह उचित समझता है, को प्रत्यायोजित कर सकता है। इस प्रकार बनी कोई समिति, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग ऐसे विनियमों के अनुरूप करेगी जो समय-समय पर निदेशकों द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएँगे।

- ii) समिति अपनी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है, यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है या यदि किसी बैठक के निर्धारित समय के बाद 5 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।
- iii) समिति बैठक का आयोजन एवं स्थगन कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे, किसी भी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा तथा मतों की समानता होने की स्थिति में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

परिचालन द्वारा संकल्प:

50. कोई भी संकल्प बोर्ड या उसकी समिति द्वारा परिचालित रूप से तब तक सम्यक रूप से पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि संकल्प को सभी निदेशकों या सभी सदस्यों को आवश्यक कागजात, यदि कोई हो, के साथ मसौदे में परिचालित नहीं किया गया है, जैसे ही वह समिति के रूप में ऐसे निदेशकों या सदस्यों द्वारा या उनमें से बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो संकल्प पर मतदान करने के हकदार हैं।

दोषपूर्ण नियुक्ति के बावजूद बोर्ड या समितियों के वैध कार्य:

51. i) बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य, इस बात के होते हुए भी कि बाद में यह पता लगता है कि इनमें से किसी एक या अधिक की नियुक्ति में कुछ त्रुटि थी। ऐसे निदेशक या पूर्वोक्त के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति, या कि सभी या उनमें से किसी को अयोग्य घोषित किया गया था, इस रूप में मान्य होगा जैसे कि प्रत्येक ऐसे निदेशक या ऐसे व्यक्ति को विधिवत नियुक्त किया गया था और निदेशक बनने के लिए योग्य था।
- ii) अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान के अलावा, लिखित रूप में एक संकल्प, बोर्ड या उसकी समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, जो फिलहाल बोर्ड या समिति की बैठक की सूचना प्राप्त करने का हकदार है, वह ऐसे मान्य और प्रभावी होगा जैसे इसे विधिवत आयोजित की गई बोर्ड या समिति की बैठक में पारित किया गया हो।

कार्यवृत्त:

52. कंपनी बोर्ड की प्रत्येक बैठक या सामान्य बैठक या निदेशक मंडल की समितियों की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

मुहर

53 i) निदेशक मण्डल कम्पनी के लिए एक आम मुहर का प्रावधान करेगा और समय-समय पर उसे नष्ट करने तथा उसके स्थान पर नई मुहर को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा। निदेशक मण्डल मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

ii) कम्पनी की मुहर बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की किसी समिति के संकल्प के सिवाय या कम से कम दो निदेशक तथा सचिव या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे बोर्ड/समिति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे, की उपस्थिति के सिवाय किसी दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी और ऐसे दो निदेशक या उपर्युक्त कोई अन्य व्यक्ति अपनी उपस्थिति में लगाई गई कंपनी की मुहर के दस्तावेज पर किसी भी माध्यम से हस्ताक्षर करेगा ।

लाभांश एवं अधिकार

लाभों का विभाजन

54. लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभ का भुगतान सदस्यों को इन दस्तावेजों के द्वारा निर्मित हुए या निर्मित होने के लिए प्राधिकृत के सिवाय किसी विशेष अधिकार और अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन किया जाएगा और इन दस्तावेज के प्रावधानों का अनुमोदन आरक्षित निधि के रूप में निदेशक मंडल से प्राप्त होना चाहिए ।

कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है

55. कम्पनी आम बैठक में सदस्यों को लाभ में उनके अधिकारों और हितों के अनुसार भुगतान किए जाने वाले लाभांशों की घोषणा कर सकती है और भुगतान के लिए समय निर्धारित कर सकती है लेकिन कोई भी लाभांश मण्डल द्वारा संस्तुत राशि से अधिक नहीं होगा। जेवी कंपनी का बोर्ड कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, सौर पार्को के लिए एमएनआरई के दिशानिर्देशों और सीपीएसई पर लागू अन्य समय-समय पर घोषित किए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के अध्यक्षीन हो सकता है, संचित लाभ को वापस लेने या शेयरधारकों को लाभ के वितरण के संबंध में सर्वसम्मत सहमति से लाभांश के स्वरूप का निर्णय ले सकता है।

अंतरिम लाभांश

56. निदेशक समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांशों का भुगतान कर सकते हैं जैसा उनके निर्णयानुसार कम्पनी की स्थिति औचित्यपूर्ण बनाती है।

लेखा

सदस्यों द्वारा कम्पनी के लेखों एवं बहियों का निरीक्षण

57. निदेशक मंडल समय-समय पर निर्धारित करेगा कि कम्पनी के लेखा और लेखा बहियों को सदस्यों, जो निदेशक नहीं हैं, के निरीक्षण के लिए किस हद तक और किस समय तथा स्थानों पर एवं किन परिस्थितियों या विनियमों के अधीन खुला रखें। किसी भी सदस्य (जो निदेशक नहीं हैं) को, सिवाय कानून द्वारा प्रदत्त या मण्डल द्वारा प्राधिकृत या आम बैठक में कम्पनी द्वारा प्राधिकृत के, कम्पनी के किसी भी लेखा या बहियों या दस्तावेज के निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा ।

लेखा परीक्षा

लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा होनी है

58. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक लेखापरीक्षकों, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया हो, के द्वारा कंपनी के लेखों की जाँच की जाएगी

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

59. (i) कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा उपर्युक्त अवधि में कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति न किए जाने पर, कंपनी का निदेशक मंडल आगामी 30 दिनों के भीतर इस प्रकार के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करेगा, कंपनी के निदेशक मंडल का उक्त अवधि में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने में असफल होने पर, वे इसकी सूचना कंपनी के सदस्यों को प्रदान करेंगे जो साठ दिनों के भीतर विशिष्ट आम बैठक में इस प्रकार के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जो प्रथम आम बैठक के समापन तक पद पर बना रहेगा।

(ii) लेखापरीक्षक की अनुवर्ती नियुक्ति वित्तीय वर्ष के आधार पर, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो वार्षिक आम बैठक के समापन तक अपने कार्यालय में बने रहेगा।

(iii) लेखापरीक्षक की ऐसी नियुक्ति करने से पहले, कंपनी ऐसी नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षक की लिखित सहमति प्राप्त करेगी और उससे या इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी कि नियुक्ति, यदि की जाती है, तो अधिनियम के तहत बनाए गए नियम शर्तों के अनुसार होगी।

(iv) लेखापरीक्षक के कार्यालय में अस्थायी रिक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा तीस दिनों के भीतर भरी जाएगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसा न करने पर निदेशक मंडल के द्वारा अगले तीस दिनों के भीतर उक्त रिक्ति को भरा जाएगा।

(v) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निश्चित किए गए अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। मंडल द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति के मामले में पारिश्रमिक का निर्धारण भी बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा।

vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :-

क) निर्देश देने की शक्ति जिस तरीके से नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी के लेखा की लेखापरीक्षा की जाए।

ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा कम्पनी के लेखों की अनुपूरक या जाँच लेखापरीक्षा करना जैसा कि वे इस संदर्भ में प्राधिकृत हों तथा ऐसी लेखा परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए इस

प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसे रूप में सूचना या अतिरिक्त सूचना देना जैसा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें।

लेखापरीक्षक का बैठक में भाग लेने का अधिकार:

60. कंपनी के लेखापरीक्षक कंपनी की किसी आम बैठक में उपस्थित होने के लिए नोटिस प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें उनके द्वारा जांच और रिपोर्ट किए गए किसी भी लेखे को कंपनी के सम्मुख रखा जाना है और लेखों के संबंध में अपनी इच्छानुसार कोई विवरण या स्पष्टीकरण देना है।

जब लेखा अंतिम रूप से समायोजित माना जाए :

61. कंपनी के प्रत्येक खाते की लेखापरीक्षा हो जाने और आम बैठक में अनुमोदित हो जाने पर निर्णायक माना जाता है।

क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति और उत्तरदायित्व

निदेशकों एवं अन्य को क्षतिपूर्ति का अधिकार :

62.(i) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी उसके द्वारा की गई किसी भी किसी देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति किया जाएगा और सभी लागतें, हानियाँ एवं व्यय (यात्रा व्ययों सहित), जो निदेशक, प्रबन्धक, अधिकारी और कर्मचारी उसके या उनके द्वारा निदेशक, प्रबन्धक, अधिकारी या सेवक के रूप में की गई किसी संविदा, किए गए कार्य या विलेख के तहत या अन्य किसी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करने में, कर सकता है, का भुगतान कम्पनी निधि से करना निदेशकों का कर्तव्य होगा तथा वह राशि जिससे ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है तत्काल कम्पनी की सम्पत्ति में ग्रहणाधिकार के रूप में जुड़ेगी और सदस्यों के मध्य अन्य सभी दावों पर प्राथमिक रहेगी।

(ii) पूर्वोक्त के अध्यधीन कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक या अधिकारी, किसी भी कार्यवाहियों, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, में बचाव करने में जिसमें निर्णय उसके या उनके पक्ष में दिया गया हो, या जिसमें वह या वे विमुक्त कर दिए गए हों या अधिनियम की धारा 463 के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में जिसमें उसे या उनको न्यायालय द्वारा राहत दी गई हो, में उसके या उनके द्वारा किए गए किन्हीं भी दायित्वों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति होगा।

अन्यों के कृत्यों के लिए अधिकारी उत्तरदायी नहीं :

63. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षाओं या चूकों के लिए या किसी

प्राप्ति या अनुरूपता के लिए अन्य कार्य में जुड़ने के लिए या निदेशक द्वारा कम्पनी की ओर से आदेश पर अधिगृहीत किसी सम्पत्ति के हक में किसी अपर्याप्तता या कमी के माध्यम से कम्पनी को हानि या खर्च के लिए या किसी प्रतिभूति में अपर्याप्तता या कमी जिस पर कम्पनी का कोई धन निवेश किया जाएगा के लिए या ऐसे व्यक्ति, कम्पनी या निगम जिसके साथ कोई धन, प्रतिभूति या चल सम्पत्ति सौंपी या जमा की जाएगी के दिवालिया या कपटता के कारण उत्पन्न हानि या क्षति के लिए, या किसी भी ऐसी हानि जो उसकी या उनकी ओर से निर्णय की त्रुटि या भूल के कारण घटित हुई हो के लिए या किसी अन्य हानि या क्षति या दुर्भाग्य जो कुछ भी हो, जो उसके या उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या तत्संबंधी हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसा उसकी स्वयं की बेईमानी के कारण न हो।

सामान्य प्राधिकार :

64. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू प्रावधानों में जहां कहीं भी दिया गया है कि किसी कंपनी के पास कोई अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार होगा या कोई भी कंपनी कोई लेनदेन तभी कर सकती है जब कंपनी उसके लिए अधिकृत हो, मामले में यह विनियम कंपनी को इस तरह के अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार के लिए अधिकृत और सशक्त बनाता है और इस तरह के लेनदेन को करने के लिए अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है, इसके लिए उस संबंध में कोई अन्य विशिष्ट विनियम नहीं है।

अन्य

गोपनीयता :

65. कोई भी सदस्य कम्पनी के व्यापार के विवरण या कोई अन्य मामला जो व्यापार गोपनीयता या कम्पनी के व्यवसाय आचरण से संबंधित गोपनीय प्रक्रिया की प्रकृति का हो या हो सकता है, और जो निदेशकों की राय में सार्वजनिक करना कम्पनी के सदस्यों के हित में असमीचीन हो, की या किसी सूचना की खोज करवाने के लिए किसी निदेशक की अनुमति के बिना कम्पनी का दौरा या निरीक्षण करने का पात्र नहीं होगा।

प्रमोटर एमओयू :

66. कंपनी 15 अप्रैल, 2022 एवं 30 जनवरी, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड के मध्य क्रमशः निष्पादित हुए प्रमोटर समझौता ज्ञापन (एमओयू) एवं संयुक्त उपक्रम-कम-शेयर धारक करार को अपनाएगी। किसी भी संशोधन सहित प्रमोटर के एमओयू को अपनाने पर, कंपनी उसी के लिए बाध्य होगी और मान्य कानून के अनुसार इसकी शर्तों को प्रभावी करेगा, सिवाय इसके कि जब प्रमोटर के एमओयू (इसके संशोधनों सहित) और एसोसिएशन के अंतर्नियमों के प्रावधान के मध्य कोई विसंगति न हो, जिस स्थिति में प्रमोटर के एमओयू के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए एसोसिएशन के अंतर्नियमों के प्रावधानों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

अभिदानकर्ताओं का विवरण

अभिदानकर्ताओं का विवरण					
क्र म सं.	अभिदानकर्ताओं के नाम, पता विवरण और व्यवसाय	डिन/पैन/ पासपोर्ट नं.	स्थान	डीएससी	दिनांक
1	राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड ललित वर्मा ई-166 युधिष्ठिर मार्ग, सी- स्कीम जयपुर, राजस्थान 302001 एनए जयपुर भारत	09364205	जयपुर	ललित वर्मा	23/03/23
2	संदीप सिंघल ई 904 सेक्टर-7, वैशाली पर्ल कोर्ट रामप्रस्थ ग्रीन्स, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 भारत नगर (गाजियाबाद) गाजियाबाद, भारत	AFUPS0326J	गाजियाबाद	संदीप सिंघल	23/03/23
3	अतुल भूषण गोयल 4/24 टीएचडीसी कॉलोनी ऋषिकेश उत्तराखंड -249201 ऋषिकेश, देहरादून, भारत	AATPG1682 K	ऋषिकेश	अतुल भूषण गोयल	23/03/23
4	कुमार शरद 3/25 टीएचडीसी कॉलोनी ऋषिकेश, उत्तराखंड 249201, ऋषिकेश देहरादून, भारत	AFPPS6045 B	ऋषिकेश	कुमार शरद	23/03/23
5	अतुल जैन III-137 टीएचडीसी कॉलोनी ऋषिकेश, उत्तराखंड- 249201, ऋषिकेश देहरादून, भारत	ACEPJ4523 F	ऋषिकेश	अतुल जैन	23/03/23
6	दिनेश कुमार शर्मा 175, सूर्य नगर गोपाल पुरा, बाई पास जयपुर राजस्थान-302015, एनए भारत	09581089	जयपुर	दिनेश कुमार शर्मा	23/03/23

7	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड राजीव विश्नोई, भागीरथ भवन टॉप टैरेस, भागीरथीपुरम, प्रतापनगर, उत्तराखंड- 249001, एनए टिहरी गढवाल, भारत	08534217	ऋषिकेश	राजीव कुमार विश्नोई,	23/03/23
---	--	----------	--------	----------------------------	----------

मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किए गए

प्रीफेक्स नाम ACA/FCA/ ACS/FCS/ ACMA/FC MA	साक्षी का नाम	पता, विवरण एवं व्यवसाय	डिन/पैन/ पासपोर्ट नं./ सदस्यता	स्थान	डीएससी	दिनांक
FCS	अभिषेक शर्मा	SCO-10. मिनी सचिवालय के सामने, पुराना तहसील टाउन के पास, पानीपत -132103	12407	पानीपत	अभिषेक शर्मा	23/03 /23